(485)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १२०१४ निगरानी R 3963-II/14

माधव कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीराम नारायण अग्रवाल, पंचायती धर्मशाला रोड, मुरैना, तेहसील व जिला मुरैना (म०प्र०) ।

------ प्रार्थी

बिरुध्द

श्री एस.के. अवस्थी एड० द्वारा आज दि. 29-11-14 को प्रस्तुत
29-11-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

१- हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड कम्पनी, गौतम नगर, भोपाल व्दारा श्री सुमित गुप्ता वरिष्ठ विक्री अधिकारी, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन शाखा ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) ।

----- असल प्रतिप्रार्थी

२- शिवप्रताप सिंह सिकरवार पुत्र स्व० श्री जगन्नाथ सिंह सिकरवार, निवासी पुराना वोहिंग हाउस, गणेशपुरा, मुरैना, तेहसील व जिला मुरैना (म०प्र०)

------तरतीबी प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय मुरैना दिनांकी २०-०८-१४ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ४८।११-१२ निगरानी ।

---

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-3963-दो/14 **जिला** - मुरैना

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>**प्रशासकीय सदस्य** | |